



विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन

- 1— उपभोक्ता फ़ोरम द्वारा किये गये आदेश से व्यथित होकर या जहाँ फ़ोरम विनिर्दिष्ट अवधि (90दिन) के भीतर शिकायत का निवारण करने में असफल रहा है या फ़ोरम के आदेश के अनुपालन न होने की स्थिति में विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन कर सकेगा।
- 2— फ़ोरम के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन उपभोक्ता द्वारा या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आदेश के 30 दिनों के भीतर किया जा सकेगा।
- 3— अभ्यावेदन लिखित में होगा उपभोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा, फ़ोरम के आदेश की प्रति के साथ होगा, जहाँ आदेश पारित किया गया है और अधिकथित करेगा :—
 - (क) उपभोक्ता का नाम और पता,
 - (ख) वितरण अनुज्ञाप्रिधारी का नाम और पता,
 - (ग) अभ्यावेदन को उद्भूत करने वाले तथ्य
 - (घ) वाहा गया अनुतोष,
 - (ड) कोई अन्य सुसंगत तथ्य।
- 4— कोई अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष दाखिल नहीं होगा, जब तक :—
 - (क) उपभोक्ता ने विहित ढंग में फ़ोरम के समक्ष लिखित अभ्यावेदन किया है और फ़ोरम ने या तो अभ्यावेदन को नामंजूर किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसका निस्तारण करने में असफल रहा है,
 - (ख) उपभोक्ता या वितरण अनुज्ञाप्रिधारी फ़ोरम के आदेश द्वारा व्यथित है,
 - (ग) अभ्यावेदन उस मामले के सम्बन्ध में नहीं है, जिसका पहले ही निपटारा विद्युत लोकपाल द्वारा या किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है,
 - (घ) अभ्यावेदन ऐसे मामले से सम्बन्धित नहीं है, जो किसी न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थ या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।



विद्युत लोकपाल का पता

कार्यालय

विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश
भूतल, उ०प्र० विद्युत नियामक भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010